न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)
वाद सं0 : 232 सन 2022
अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. प्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
2. सत्यनारायण पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
4. रामचन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 21/04/2022

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 279/284 की कुल 0.8600हैक एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 312/297 की कुल 7.3370हैक एव खाता संख्या 91/246 की कुल 24.2880है में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है हेतराम पुत्र जैसाराम ने अपनी स्वअर्जित भूमि की अपने जीवनकाल में अपने पौतों वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई जाकर नोटेरी पब्लिक से दिनांक 09.07.2012 को पजीबद्व करवाई गई थी।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम का देहान्त दिनांक 11.11.2021 को हो चुका है वादी के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम के देहान्त होने पर उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 09.07.2012 को करवाई गई वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि पर काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जेसाराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की हेतराम पुत्र जेसाराम जो वादी का दादा है के नाम से दर्ज की वसीयत दिनांक 09.07.2012 के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने निवेदन किया की वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का दादा है वादी के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 09.07.2012 को अपने पोतो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के दादा हेतराम पुत्र जेसाराम का देहान्त दिनांक 11.11.2021 को हो चुका है इसलिये वादी के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम के द्वारा करवाई गई वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1

Scanned with CamScanner

ता 4 वाद भूमि पाने के अधिकारी है हेतराम पुत्र जेसाराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन में ईकबाला दावा पेश किया गया। शामिल मिसल किया एवं प्रतिवादी संख्या 5 पेरोकार राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तारण किया जाता है तो कोई ऐतराज नही है जबाब शामिल मिसल किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का ईकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नही रही साक्ष्य में वादी ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नही करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पष्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 279/284 की कुल 0.8600हैक्ट एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 312/297 की कुल 7.3370हैक्ट एव खाता संख्या 91/246 की कुल 24.2880है में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है।

वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है जो वादी का दादा है हेतराम पुत्र जैसाराम ने अपनी स्वअर्जित भूमि की अपने जीवनकाल में अपने पौतों वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में वसीयत तहरीर करवाई जाकर नोटेरी पब्लिक से दिनांक 09.07.2012 को पजीबद्व करवाई गई थी।

वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम का देहान्त दिनांक 11.11.2021 को हो चुका है वादी के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम के देहान्त होने पर उनके द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 09.07.2012 को करवाई गई वसीयत के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि पर काबिज है तथा राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जेसाराम की वसीयत के अनुसार भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के सम्बध में कोई ऐतराज नही है वादी अपने कथनों के सम्बध में न्यायायिक दृष्टान्त आर.बी.जे. 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार काश्तकार आपसी सहमति /राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

पेरोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे।

हमने उभयपक्षो की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 279/284 की कुल 0.8600हैक्ट एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 312/297 की कुल 7.3370हैक्ट एव खाता संख्या 91/246 की कुल 24.2880है में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है।

वादी का कथन है कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम से दर्ज है हेतराम पुत्र जैसाराम वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 का दादा है हेतराम पुत्र जैसाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी स्वअर्जित भूमि की वसीयत दिनांक 09.07.2012 को अपने पौतो वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के पक्ष में करवाई गई थी वादी के दादा हेतराम पुत्र जैसाराम का देहान्त हो चुका है हेतराम पुत्र जैसाराम के देहान्त होने के बाद उनके द्वारा करवाई गई वसीयत दिनांक 09.07.2012 के अनुसार वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 वाद भूमि को अपने नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उनके दादा हेतराम पुत्र जैसाराम की वसीयत दिनांक 09.07.2012 के अनुसार वाद भूमि राजस्व रिकार्ड

Scanned with CamScanner

में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है व अपने कथनो के समर्थन मे ईकबाल पेश किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं न्यायायिक दृष्टान्तों जो प्रकरण पर चस्पा होते है के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐजराज नही होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो एवं न्यायायिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 280/285 की कुल 8.4480हैक्ट एवं खाता संख्या 279/284 की कुल 0.8600हैक्ट एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 312/297 की कुल 7.3370हैक्ट एव खाता संख्या 91/246 की कुल 24.2880है में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. ओमप्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट निवासी सुरजनसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1 प्रकाश पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
2. सत्यनारायण पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
3. पवन कुमार पुत्र हनुमान जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
4. रामचन्द्र पुत्र महावीर जाति जाट साकिन सुरजनसर तहसील नोहर।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 232 सन 2022 निर्णय दिनांक– 21/04/2022

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मिनकदेसर के खाता संख्या 280/285 की कुल 8.4480हैक्‍ एवं खाता संख्या 279/284 की कुल 0.8600हैक्‍ एवं रोही मौजा सुरजनसर के खाता संख्या 312/297 की कुल 7.3370हैक्‍ एव खाता संख्या 91/246 की कुल 24.2880है में से 1/2 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में हेतराम पुत्र जैसाराम के नाम सें दर्ज है का नाम कलमजन किया जाकर वादी एव प्रतिवादी संख्या 1 ,2 बहिब 1/2 हिस्सा एव प्रतिवादी संख्या 3 ,4 बहिब 1/2 हिस्सा के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाात है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/04/2022 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

Scanned with CamScanner